

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....आसित कुमार बनाम अलका जैन.....

किस्म मुकदमा :- 88, 188 R.T.A.C

नंबर62 वर्ष 2021)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>30-10-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दारे/उपखण्ड पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक<u>6-11-25</u>..... को पेश हो <u>छ</u></p> <p>6-11-25 पत्रावली पेश हुई। अभ्यपस के वकील उपस्थित/शाठ पर (0.9 R.7) पर बहस हेतु वकील वादी ने और समय-चाहा/समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-11-25 को पेश हो <u>छ</u></p> <p style="text-align: center;"><u>उपखण्ड अधिकारी</u> रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	
13-11-25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित उपस्थित वकील उप. उप.। बार-बार आवाज दिलवायी गयी। बार-बार आवाजे दिलवाने के बावजूद वादी व वकील वादी में ही कोई उपस्थित नहीं। अतः वादी को वाद अडल धाजरी। अडल पेटवी में खारिज किया जात है।</p> <p>पत्रावली फाइनल मुआद होकर नंबर में <u>छ</u></p> <p style="text-align: center;"><u>उपखण्ड अधिकारी</u> रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	